

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
::मंत्रालय::
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 31/2020/सी-2

भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय:- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश-
धर्म गुरुओं की बैठक के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यवाहियों निरंतर गंभीरतापूर्वक जारी हैं। इसी अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में की जा रही कार्यवाहियों में समाज की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की जावे ताकि वह ज्यादा प्रभावी हो सकें।

जिला दण्डाधिकारी सभी पंथों के स्थानीय धर्म गुरुओं की बैठक दिनांक 03.04.2020 को आयोजित करें जिसमें कोरोना संक्रमण के रोकने हेतु की जा रही कार्यवाहियों से उन्हें अवगत करावें। साथ ही उन्हें धार्मिक सभाएं आयोजित न करने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, सैम्पल टेस्ट करने के महत्व से अवगत करावें ताकि सभी समुदायों का पूरा सहयोग मिले। ऐसी बैठकें थाने स्तर पर भी की जावे।

(एस.एन.सिन्हा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

क्रमांक 32/2020/सी-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल 2020

1. अपर मुख्य सचिव वाणिज्यक कर विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
6. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रमुख सचिव,
गृह विभाग